संख्याः २७ / xxvii(7)(स्प0–1) / 2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः13फरवरी,2009

विषयः– राजकीय कर्मचारियों को दिनॉक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानो की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्याः395 / xxvii(7) / 2008,दिनांकः17अक्टूबर,2008 के स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः395 / xxvii(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान के विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में विभाग / संगठनों / संस्थाओं द्वारा की गई जिज्ञासाओं के संबंध में निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2–उपरिउल्लिखित शासनादेश संख्याः395 / xxvii(7) / 2008, दिनांकः 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–13 में दिनांक 31–8–2008 तक स्वीकृत हो चुके समयमान वेतनमान के प्रकरणों में अनुमन्य वेतनमान के सापेक्ष वेतन बैण्ड में वेतन पुनरीक्षण किया गया है परन्तु ग्रेड–पे उसके मूल पद की प्रास्थिति के अनुरूप देने की व्यवस्था है । ग्रेड–पे की अनुमन्यता की उक्त व्यवस्था में संशोधन के फलस्वरूप अब अनुमन्य समयमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड के अनुसार ग्रेड–पे देय होगी।

3–उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश में प्रोन्नति / चयन वेतनमान की तिथि से विकल्प देने की व्यवस्था नहीं थी। एतदद्वारा प्रोन्नति की तिथि अथवा चयन वेतनमान की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प दिये जाने की सुविधा अनुमन्य होगी ।

4–वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक17अक्टूबर,2008 में स्पष्ट है कि प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी / जुलाई में ही देय होगी, लेकिन नियुक्ति / प्रोन्नति / उच्चीकरण की तिथि से कम से कम 6 माह का समय पूरा होने पर प्रथम वेतन वृद्धि देय होगी । यदि उक्तानुसार वेतन वृद्धि का निर्धारण दिनांक 1–1–2006 से वेतनमानों के पुनरीक्षण में नहीं किया गया है तो संबंधित आहरण / वितरण

अधिकारी के द्वारा तद्नुसार वेतन निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5–दिनांक 1–1–2006 से वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 में ग्रेड–पे, वेतन वृद्धि की तिथि तथा पदोन्नति/चयन की तिथि से भी विकल्प देने की व्यवस्था हेतु स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है, जबकि उक्त शासनादेश द्वारा विकल्प दिये जाने की तिथि दिनांकः15–1–2009 को समाप्त हो गयी है। अतः उक्तानुसार निर्गत किये जा रहे स्पष्टीकरण के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प देने की सुविधा शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से 'तीन माह' बढ़ायी जा रही है। उक्त स्पष्टीकरण के दृष्टिगत यदि कोई सरकारी सेवक पूर्व में दिये अपने विकल्प में परिवर्तन करना चाहता हो तो वह उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्व से दिये अपने विकल्प में परिवर्तन कर सकता है । उक्त अवधि समाप्त होने के बाद विकल्प की सुविधा अग्रेतर नहीं बढ़ायी जाएगी ।

6–वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–8 की व्यवस्था के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढॉचें में वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 1–1–2007 को अनुमन्य होगी । इस विषय में यह देखा जा रहा है कि अनेक प्रकरणों में पुराने वेतनमान तथा नये वेतनमान दोनों में वेतन निर्धारण किया जा रहा है । अतः ऐसे प्रकरणों में अब पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इनका वेतन निर्धारण पुराने वेतनमान में एक वेतन वृद्धि के स्थान पर नये वेतनमानों में ही एक वेतन वृद्धि देकर वेतन का निर्धारण किया जाएगा और पूर्व में इस संबंध में जो त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किये गये हैं उनको संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा ठीक कर लिया जाय।

7–शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008, दिनांकः 17अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–29 के क्रम में अब वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय ऐरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008–09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11 में देय आयकर को काटकर कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक निकाला नहीं जा सकेगा, केवल सेवानिवृत्त हो गये कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनको एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा ।

8–दिनांक 1–1–2006 के पूर्व के तथा दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके बाद के पेंशनर को पेंशन एवं ग्रैच्युटी आदि के अवशेष का 40प्रतिशत

वित्तीय वर्ष2008–09 में,30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11 में भुगतान किया जाएगा ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 27(1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 500प्रतियां प्रकाशनार्थ
12..निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

अक्षि से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।